करे पेश हों ।

5/3/26	पत्रा. पेश हुई। वादी वकील उप०। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA के तहत सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्ल से कम की जाकर दाखिल दफ्तर है।

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 देवकीनन्दन बगै0 बनाम पुष्पा बगै0

दावा बाबत् 88, 89, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 160/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् सिद्ध न हो पाने के कारण खारिज किया जाता है।

किबेज – मुबलिग ———— बावत ———— खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख....05/03/26.... को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत————

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर.		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1. देवकीनन्दन पुत्र धारूराम जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई (मृतक)
2. बासुदेव पुत्र धारूराम जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई

—वादीगण

बनाम

1. पुष्पादेवी वेवा ओमप्रकाश जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई हाल मकान नं. 126—127 डी. सैक्टर नं. 03 रोहिणी, नई दिल्ली।
2. पुष्कर पुत्र ओमप्रकाश जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई हाल मकान नं. 126 डी. सैक्टर नं. 03 रोहिणी, नई दिल्ली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

4. सब रजिस्ट्रार, नदबई।
5. ठाकुरदास पुत्र धारूराम (मृतक)
   5/1 राकेश कुमार उर्फ लोकेश कुमार पुत्र ठाकुरदास जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
   5/2 भारतभूषण पुत्र ठाकुरदास जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
   5/3 जगदीश पुत्र ठाकुरदार जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
   5/4 सीतादेवी पत्नि ठाकुरदास जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
6. संजय पुत्र प्रेमकुमार जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
7. गिरीश पुत्र प्रेमकुमार जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
8. मुकेश पुत्र किशारी जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
9. संजय पुत्र श्यामलाल जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
10. महेन्द्र पुत्र श्यामलाल जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
11. देवकीनन्दन मृत वादी संख्या 01
   11/1 संतोष उर्फ महेन्द्री वेवा देवकीनन्दन जाति खत्री निवासी नदबई हाल निवासी मकान नं. 11/12 डी—14 सेक्टर —3 रोहिणी , दिल्ली।
   11/2 सन्नी पुत्र देवकीनन्दन जाति खत्री निवासी नदबई हाल निवासी मकान नं. 11/12 डी—14 सेक्टर —3 रोहिणी , दिल्ली।
   11/3 कनिका उर्फ गुडिया पुत्री देवकीनन्दन जाति खत्री निवासी नदबई हाल निवासी मकान नं. 11/12 डी—14 सेक्टर —3 रोहिणी , दिल्ली।
   11/4 सालिनी उर्फ सीतू पुत्री देवकीनन्दन जाति खत्री निवासी नदबई हाल निवासी म0 नं 11/12 डी—14 सेक्टर —3 रोहिणी , दिल्ली।

— तर0 प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 160/2016
सीएमएस नं0 2016/00307
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.03.2026

देवकीनन्दन पुत्र धारुराम जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई (मृतक)
बासुदेव पुत्र धारुराम जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई

—वादीगण

बनाम

1. पुष्पादेवी वेवा ओमप्रकाश जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई हाल मकान नं. 126—127 डी. सैक्टर नं. 03 रोहिणी, नई दिल्ली।
2. पुष्कर पुत्र ओमप्रकाश जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई हाल मकान नं. 126—127 डी. सैक्टर नं. 03 रोहिणी, नई दिल्ली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

4. सब रजिस्ट्रार, नदबई।
5. ठाकुरदास पुत्र धारुराम (मृतक)
   5/1 राकेश कुमार उर्फ लोकेश कुमार पुत्र ठाकुरदास जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
   5/2 भारतभूषण पुत्र ठाकुरदास जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
   5/3 जगदीश पुत्र ठाकुरदार जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
   5/4 सीतादेवी पत्नि ठाकुरदास जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
6. संजय पुत्र प्रेमकुमार जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
7. गिरीश पुत्र प्रेमकुमार जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
8. मुकेश पुत्र किशारी जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
9. संजय पुत्र श्यामलाल जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
10. महेन्द्र पुत्र श्यामलाल जाति खत्री (पंजाबी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, नदबई
11. देवकीनन्दन मृत वादी संख्या 01
    11/1 संतोष उर्फ महेन्द्री वेवा देवकीनन्दन जाति खत्री निवासी नदबई हाल निवासी मकान नं. 11/12 डी—14 सेक्टर —3 रोहिणी , दिल्ली।
    11/2 सन्नी पुत्र देवकीनन्दन जाति खत्री निवासी नदबई हाल निवासी मकान नं. 11/12 डी—14 सेक्टर —3 रोहिणी , दिल्ली।
    11/3 कनिका उर्फ गुडिया पुत्री देवकीनन्दन जाति खत्री निवासी नदबई हाल निवासी मकान नं. 11/12 डी—14 सेक्टर —3 रोहिणी , दिल्ली।
    11/4 सालिनी उर्फ सीतू पुत्री देवकीनन्दन जाति खत्री निवासी नदबई हाल निवासी म0 नं 11/12 डी—14 सेक्टर —3 रोहिणी , दिल्ली।

— तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार बिहारिया एड0 (वादी की ओर स

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

: निर्णय : दावा अन्त.धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादिनी द्वारा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश या। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान लडने योग्य हैं।

है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा 5 लगायत 7 एक ही परिवार के व्यक्ति है एक पूर्वज धारूराम की औलाद है जिनका सजरा पत्रावली में संलग्न है।

है कि खसरा नं0 हाल बंदोवस्ती 794 रकवा 0.93 व 1969 रकवा 0.18 किता 2 कुल रकवा 1. हैक्टे. वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। जिसके प्रतिवादी संख्या 1 व गलत रूप रूप से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हो रहे हैं।

ह है कि उक्त आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वादीगण प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 व 5 लगायत 10 के पूर्वज स्वर्गीय धारूराम जी द्वारा सन 1964–65 में नीलामी द्वारा सरकार से खरीद की थी। जिसका भुगतान स्व. श्री धारूराम ने अपनी संयुक्त परिवार की आय में से किया था लेकिन प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का पिता/पति स्व. ओमप्रकाश चालाक व होशियार किस्म का व्यक्ति था जिसने नीलामी की बोली में अपना नाम दर्ज करा दिया था लेकिन आराजी मुत0 परवादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा अन्य खसरा नम्बरान का बेचान भी प्रति0 द्वारा दीगर व्यक्तियों को कर चुके हैं। जिससे प्रतिवादीगण का हिस्सा समाप्त हो गया है लेकिन उक्त आराजी संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने के कारण मुताविक हिस्सा वादीगण हिस्सा 2/6 व प्रतिवादी संख्या 5 हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 हिस्सा 1/6 वा हिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 8 हिस्सा 1/6 तथा प्रति. सं. 9 व 10 हिस्सा 1/6 वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं।

5. यह है कि आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई पर वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर पुनः आराजी मुतनाजा वर्णित मद संख्या 02 वाद पत्र से वादीगण को बेदखल करने व रहनवय मुन्तकिल करने की धमकी दिनांक 16.10.2016 को दी है। अगर प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि आराजी मुतनाजा वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त आय की खरीद से होने के कारण वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को मुताबिक मद संख्या 03 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किये जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमद न करें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर कोई भी उपस्थित नहीं आया। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में फोटोप्रति नकल वयनामा दिनांक 18.09. 2024, नकल जमाबंदी संबत 2074–77 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम, नकल जमाबंदी संबत 2070–73 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में वासदेव पुत्र धारूराम जाति

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

ी) निवासी पंजाबी मौहल्ला, कस्बा नदबई राम मंदिर के पास नदबई एवं राधेश्याम पुत्र
ते ब्राह्मण निवासी उपाध्याय पाडा तहसील नदबई के शपथ पत्र पेश किये गये।
हमने वादी अधिवक्तागण की ओर से एकतरफा बहस सुनी गई । वादी के
ाण की ओर से अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही पुनः दोहराया गया है। तथा
में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया तो पाया
गण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है।
में राजस्व रिकॉर्ड संवत 2074—77 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम की जमाबंदी संलग्न है।
नं0 हाल बंदोवस्ती 794 रकवा 0.93 व 1969 रकवा 0.18 किता 2 कुल रकवा 1.11 हैक्टे.
म कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड
ा दिनांक 18.09.2024 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विकेता पुष्कर पुत्र
ाश एवं पुष्पा देवी पत्नि ओमप्रकाश द्वारा केता पूरन सिंह पुत्र नत्थीलाल एवं होती पुत्र
ाल को विवादित आराजी खसरा नम्बरान 794 रकवा 0.93 हैक्टे. का बेचान जरिये रजिस्टर्ड
मा किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2070—73 वाके ग्राम कस्बा नदबई
का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 794 व 1969 प्रतिवादी
ा 1 व 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है एवं उसी के आधार पर वादीगण द्वारा वयनामा कराया
है। वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख के रूप में कोई भी ऐसा दस्तावेजात् पेश नहीं किया गया
जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादी के पिता धारूराम द्वारा
की गई है अर्थात उक्त आराजी को स्वअर्जित आराजी घोषित नहीं किया जा सकता है।
त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को अपने पिता ओमप्रकाश से प्राप्त हुई है। इस प्रकार
नने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि वादी को वादपत्र राजस्व अभिलेख के
भाव में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए
के तहत् सिद्ध न हो पाने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पृथक से जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 05/03/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया
गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते